1- प्रेषित करें।
2. श्री मेहरोत्रा।
26.07.12

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

संख्याः83(जी)सीएचक्यू/12—592सीएचई/84, दिनांकः 26 जुलाई,2012

कार्यालय आदेश

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1601/44–1–2011–90/2008 दिनांक 20–12–2011 एवम् निगम के पत्र संख्या–37(जी)सीएचक्यू/12–592सीएचई/84 दिनांक 29–04–2012 के संदर्भ में प्रमुख सचिव, परिवहन, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–657/30–2–2012–2(50)/2001, दिनांक 24–07–2012 के निर्देशानुक्रम में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को उ0 प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम अपने श्रोतों से वहन करेगा। इस हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नही दी जायेगी।

यह व्यवस्था उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक), निगम मुख्यालय।
2. प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक/प्राविधिक–स्था0), निगम मुख्यालय।
3. अधिशासी अभियंता(पूर्व/पश्चिम), निगम मुख्यालय।
4. प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला/डा0रा0म0लो0कार्यशाला, उ0 प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।
5. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम।
7. प्रबन्धक, कार सेक्शन, उ0 प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/मु0प्र0प्र0(प्रशासन) कैम्प, निगम मुख्यालय।
9. अनुभाग अधिकारी, क्षे0स्था0(अप्रा0/प्रा0) अनुभाग/रोडवेज लेखा/भवन/सामान्य प्रशासन अनुभाग, निगम मुख्यालय।
10. गार्ड पत्रावली।

(रामदीन)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन)
24.7.12

26/07/2012